

क्रमांक स.3(3)(02)स्था/मंत्रा/अभि/2020/5331-46 दिनांक:- (2.06.21)

-: नियुक्ति आदेश :-

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 जयपुर दिनांक 08.04.2021 एवं परिपत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट जयपुर दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा-2018 के चयनित (603) पदों में से इस विभाग को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति देने हेतु 10 अभ्यर्थी आवंटित करने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को अभियोजन विभाग में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.06 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रुपये 14600/- प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप में पूर्ण करने के उपरान्त पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या-5 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्ति की जाकर इनका पदस्थापन इनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में एतद्वारा किया जाता है :-

क्र.सं.	वरियता क्रमांक	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन कार्यालय
1.	6631	श्री विक्रम जॉगिड	श्री रोहताश जॉगिड	21-01-1998	O_OBC	कार्यालय स.नि.अ., जयपुर शहर द्वितीय
2.	6707	श्री मनीष कुमार	श्री धर्मपाल	11-03-1996	O_OBC	कार्यालय स.नि.अ., सीकर
3.	6743	श्री जयराम बिश्नोई	श्री किशनाराम बिश्नोई	15-07-1997	O_OBC	कार्यालय स.नि.अ., जालौर
4.	6764	श्री रविकान्त पूनिया	श्री राजेश कुमार पूनिया	13-08-1998	O_OBC	कार्यालय स.नि.अ., जयपुर शहर द्वितीय
5.	6767	श्री कुलदीप सूरा	श्री निहाल सिंह सूरा	10-07-1994	O_OBC	कार्यालय स.नि.अ., जयपुर शहर द्वितीय
6.	6770	श्री संदीप कुमार	श्री सतवीर सिंह	04-07-1995	O_OBC	कार्यालय स.नि.अ., श्रीगंगानगर
7.	6776	श्री राहुल कटेवा	श्री दोदराम कटेवा	05-05-1992	O_OBC	कार्यालय स.नि.अ., जयपुर शहर द्वितीय
8.	6794	श्री कुलदीप कुमार	श्री सुरेश चन्द	3-04-1998	O_OBC	कार्यालय स.नि.अ., जयपुर देहात
9.	10192	श्रीमती तरुणा शर्मा	श्री विष्णु प्रसाद शर्मा	11-12-1993	O_GEN	कार्यालय स.नि.अ., जयपुर शहर, प्रथम
10.	10374	सुश्री भावना पालीवाल	श्री शंकर लाल पालीवाल	23-09-1998	O_GEN	कार्यालय उ.नि.अ., उच्च न्यायालय जोधपुर

1/12/16

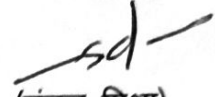
1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणाधीन अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6) एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, 6(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.06, 13(1)एफडी/रूल्स/03 दिनांक 13.03.06, एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 30.10.17 एवं संशोधित आदेश दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक रुपये 14600/- (Fixed Remuneration) प्रतिमाह के हकदार होंगे, इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं एडहोक बोनस इत्यादि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधधीन होगा।
2. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.06 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) अवधि में सेवाये सन्तोषजनक पाये जाने की दशा में पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते स्वीकृत किये जावेंगे।
3. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 3 सप्ताह के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
4. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप से सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
5. परीविक्षा काल (Probation-Period) में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीविक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीविक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीविक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो उसमें असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
7. उपरोक्त आवंटित 10 अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा-2018 के चयनित (603) पदों में से अभियोजन विभाग को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा वरियता क्रमानुसार उपलब्ध कराये कार्मिकों के समनुरूप होगी। उक्त अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
8. परीविक्षा/प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रवर्तनीय आदेशानुरूप देय होंगे।

12/6

9. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Throgh Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
10. उक्त कार्मिको पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ. 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.04 एवं 27.03.04 संशोधित आदेश दिनांक 30.10.17 व 09.12.2017 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य प्रवर्तनीय आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
11. उक्त नियुक्तियों पर वित्त विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ.6(4) वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार चिकित्सा परिचर्या नियम 1970 के प्रावधान लागू नहीं होंगे एवम वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.6 (5) वित्त/नियम/ 99 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार मेडिकलेम बीमा योजना लागू होगी।
12. उक्त नियुक्तियों राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुक्रमिक शासित होगी एवं इन पर समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
13. अभ्यर्थियों को परिविक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।
14. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। अस्थायी सेवाकाल में बिना किसी पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
15. उक्त अभ्यर्थियों के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाते हैं तो चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुये उनका चयन निरस्त किये जाने का राज्य सरकार/विभाग को अधिकार होगा।
16. उक्त अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्नित किये गये दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/मिथ्या पाये जाते हैं तो राज्य सरकार/विभाग इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।
17. उपरोक्त अभ्यर्थियों से इनके गृह जिले के सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से online जारी की गई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। तथा विभाग द्वारा इनकी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट उप महानिरीक्षक, पुलिस सी.आई.डी.(इन्टेलीजेन्स) राजस्थान जयपुर के माध्यम से भिजवाने हेतु सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं। यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन है।
18. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
19. अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

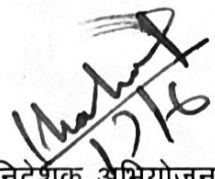
20. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

इनका पदस्थापन जिले में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा किया जावेगा।


(चंचल मिश्रा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) विभाग, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
4. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
5. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन, को भेजकर लेख है कि यदि आपके जिले में पदस्थापित उक्त अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करता है तो निर्धारित समयावधि पश्चात उसे कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावे। तथा नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तों की पूर्ण पालना होने के पश्चात कार्यग्रहण करवाया जाकर पालना सुनिश्चित करे।
6. सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर शहर प्रथम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती तरुणा शर्मा कनिष्ठ सहायक को अग्रिम आदेश तक अभियोजन निदेशालय राज.जयपुर में कार्य करने हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करे।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि आप नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तों को पूर्ण करते हुये 3 सप्ताह की नियत अवधि में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर लेवें।
8. निजी पत्रावली/ विधि शाखा/गोपनीय शाखा, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर।